रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082023-247811
CG-DL-E-03082023-247811

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2023/श्रावण 10, 1945
No. 537] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2023/SHRAVANA 10, 1945

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण

(खादय और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2023

फा.सं.टी-21032/1/2020-एनआईसी.—भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण, भांडागरण (विकास और विनियमन) के रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 के नियम 4 के उप-नियम (1क) और नियम 25 के खंड (क) के साथ पठित भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा, 35 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी रजिस्ट्रीकृत भांडागारण में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट कृषि वाणिज्यों के भंडारण को अवधारित करती है, अर्थात्

सारणी

क्र.सं.	वस्तुओं का नाम
(1)	(2)
1.	सॉल्वेंट एक्सट्रेक्टेड मूंगफली तेल केक
2.	गन्ना शिरा
3.	शहद

2. उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए एगमार्क या भारतीय मानक ब्यूरो अथवा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के गुणात्मक विनिर्देशों या मानकों का अनुपालन करेंगी।

परंतु उन वाणिज्यों के लिए मानक विद्यमान होने की दशा में, भारतीय मानक ब्यूरो या एगमार्क या भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या सरकारी निकायों द्वारा अधिकथित क्वालिटी मानक लागू होंगे।

3. उन वाणिज्यों के लिए, जिनके लिए रासायनिक या सहबद्ध प्रयोगशाला विश्लेषण अपेक्षित है, भारतीय प्रत्यानन बोर्ड द्वारा परीक्षण और अंशशोधन के लिए अधिसूचित सभी एगमार्क प्रयोगशालाएं, सभी प्रत्यादित प्रयोगशलाएं और भारतीय मानक ब्यूरो तथा भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं परीक्षण के लिए प्राधिकृत है।

4. इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय और राज्य सरकार की प्रयोगशालाएं तथा उनके द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्रयोगशालाएं वाणिज्यों का परीक्षण कर सकती हैं।

जितेश शर्मा, निदेशक (प्रशासन और वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./319/2023-24]

WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

(**Department of Food and Public Distribution**)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2023

F.No. T-21032/1/2020-NIC.—ln exercise of the powers conferred by clause (p) of sub-section (2) of section 35 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007(37 of 2007) read with sub- rule (1A) of rule 4 and clause (a) of rule 25 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules 2017, the Warehousing Development and Regulatory Authority hereby determines that the agricultural commodities specified in the Table below shall be stored in a registered warehouse, namely :—

TABLE

S.No.	Name of the Commodity
(1)	(2)
1.	Solvent extracted groundnut oil cake
2.	Cane Molasses
3.	Honey

2. The commodities specified in said Table shall comply with the qualitative specifications or standards of the AGMARK or Bureau of Indian Standards or Food Safety and Standards Authority of India:

Provided that in case, standards of AGMARK or Bureau of Indian Standards or Food Safety and Standards Authority of India do not exist for these commodities, quality standards laid down by the Central Government or State Governments or Governmental bodies shall be applicable.

3. For the commodities requiring chemical or allied laboratory analysis, all AGMARK laboratories, all accredited laboratories notified by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories and laboratories recognised by the Bureau of Indian Standards and Food Safety and Standards Authority of India are authorised for laboratory testing.

4. In addition, the Central Government or the State Government laboratories and other laboratories recognised by them may conduct testing of the said commodities

JEETESH SHARMA, Director (Admin & Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./319/2023-24]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2023

सं. डब्ल्यूडीआरए-टेक0ओपीएस(डब्ल्यूएच)/2/2021-तकनीकी.—भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 19 के साथ पठित भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (जिसे यहां इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) प्राधिकरण के साथ गैर कृषिगत वस्तुओं को भंडारित करने वाले भांडागारों और गैर-कृषिगत एवं कृषिगत दोनों वस्तुओं को भंडारित करने वाले संयुक्त भांडागार के पंजीकरण के लिए प्रतिभूति जमा की आवश्यकता हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अधिसूचित करता हैः—

1. प्राधिकरण के साथ अपने भांडागारों का पंजीकरण का अनुरोध करने वाले आवेदक भांडागार या भांडागार सेवा प्रदाता (डब्ल्यूएसपी), पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पूर्व प्राधिकरण को प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करेगा। इस प्रभाव में, प्राधिकरण से सूचना जारी होने के इक्कीस कार्य दिवसों के भीतर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करनी होगी।

2. यदि आवेदक उपर्युक्तानुसार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने में विफल रहता है आवेदन को निरस्त माना जाएगा; परंतु, प्राधिकरण का यह समाधान होता है कि आवेदक द्वारा इक्कीस कार्य दिवसों के उक्त अवधि के भीतर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत न करने हेतु पर्याप्त कारण मौजूद था, प्राधिकरण आवेदक को प्राधिकरण के निर्णायानुसार विस्तारित अवधि के भीतर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

3. यदि आवेदक नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करता है, प्राधिकरण भांडागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागारण पंजीकरण नियम, 2017 की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में पांच कार्य-दिवसों के भीतर आवेदक को भांडागार के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

4. आवेदक या भांडागारपाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति जमा की राशि तथा रीति का ब्यौरा निम्नवत हैः

(i) भांडागारपाल पंजीकरण की अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा धारित प्रतिभूति जमा का अनुरक्षण करेगा। प्रतिभूति जमा के दो घटक हैं, अर्थात- स्थिर तथा गत्यात्मक प्रतिभूति जमा। स्थिर प्रतिभूति जमा राशि भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत भांडागारपाल से संबंधित प्रत्येक भांडागार के लिए है, जबकि गत्यात्मक प्रतिभूति जमा पूर्ववर्ती माह के दौरान किसी दिन भांडागारपाल के सभी पंजीकृत भांडागारों की परक्राम्य तथा अपरक्राम्य भांडागार रसीदों (चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक अथवा भौतिक किसी रूप में हो) के समेकित बकाया के अधिकतम मूल्य का प्रतिशत है।

(क) भांडागारपाल के लिए केवल गैर- कृषिगत वस्तुओं के भंडारण के लिए स्थिर प्रतिभूति जमा 1,00,000 रुपए प्रति भांडागार है (भांडागारों के पंजीकरण के लिए नीचे सारणी (क) में विवरण दिया गया है), जबकि गत्यात्मक प्रतिभूति जमा पूर्ववर्ती माह के दौरान किसी भी दिन भांडागारपाल के सभी पंजीकृत भांडागारों की परक्राम्य तथा अपरक्राम्य भांडागार रसीदों (चाहे वे इलेक्ट्रोनिक अथवा भौतिक किसी रूप में हो) के समेकित बकाया अधिकतम मूल्य का 0.3% है, जो की नीचे दी गई सारणी 1 के स्तम्भ (ख) में 'टी' के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

सारणी- 1

क्र. सं.	स्थिर प्रतिभूति जमा, प्रति भांडागार इकाई (एफएसडी)	गत्यात्मक प्रतिभूति जमा (टी का प्रतिशत) (डीएसडी)
	क	ख
1.	प्रति भांडागार एक लाख रुपए	टी का 0.3%

जिसमें 'टी' पूर्ववर्ती माह के दौरान किसी भी दिन भांडागारपाल के पंजीकृत भंडागार द्वारा जारी परक्राम्य और गैर-परक्राम्य भांडागार रसीदों का समेकित उच्च मान 'टी' के रूप में विनिर्दिष्ट है।

(ख) भांडागारपाल के लिए, गैर-कृषिगत और कृषिगत वस्तुओं दोनों के भंडारण के लिए स्थिर प्रतिभूति जमा 1,00,000 रुपए प्रति भांडागार है, जबकि गत्यात्मक प्रतिभूति जमा भंडारित कृषिगत वस्तुओं पर लागू गत्यात्मक प्रतिभूति जमा राशि होगी और भंडारित गैर-कृषिगत वस्तुओं पर लागू गत्यात्मक प्रतिभूति जमा नीचे सारणी-2 के अनुसार होगी।

सारणी-2

क्र. सं.	स्थिर प्रतिभूति जमा रुपए प्रति भांडागार इकाई (एफएसडी)	गैर-कृषिगत वस्तुओं के संबंध में गत्यात्मक प्रतिभूति जमा (टी-1 का प्रतिशत) (डीएसडी)	कृषिगत वस्तुओं के संबंध में गत्यात्मक प्रतिभूति जमा (टी-2 का प्रतिशत) (डीएसडी)	डीएसडी की कुल आवश्यकता
	क	ख	ग	घ
1.	10,0000 रुपए प्रति भांडागार	टी-1 का 0.3 प्रतिशत	2000 टन से अधिक क्षमता के कृषिगत भांडागार पर लागू दर के समान	ख+ग

टी-1, भांडागार की क्षमता का विचार किए बिना, पूर्ववर्ती माह के दौरान किसी दिन भांडागारपाल के सभी पंजीकृत भांडागारों के गैर-कृषिगत वस्तुओं की परक्राम्य तथा अपरक्राम्य भांडागार रसीदों के समेकित बकाया का अधिकतम मूल्य होगा।

टी-2, भांडागार की क्षमता का विचार किए बिना, पूर्ववर्ती माह के दौरान किसी दिन भांडागारपाल के सभी पंजीकृत भांडागारों के कृषिगत वस्तुओं की परक्राम्य तथा अपरक्राम्य भांडागार रसीदों के समेकित बकाया का अधिकतम मूल्य होगा।

(ii) स्थिर प्रतिभूति जमा पंजीकरण अवधि से अधिक छह माह की अवधि तक के लिए बनाए रखनी होगी, जबकि गत्यात्मक प्रतिभूति जमा को प्रत्येक माह के अंत में अद्यतन कर प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी प्राधिकरण द्वारा विधिवत रुप से पावती दी जाएगी। गत्यात्मक प्रतिभूति जमा की वैधता कम से कम छह महीने के लिए रखी जा सकती है जिससे इस अवधि के दौरान प्रतिभूति जमा की आवश्यकताओं में किन्हीं परिवर्तनों को ध्यान में रखा जा सके;

(iii) प्राधिकरण अपने विवेकानुसार भांडागारपाल द्वारा पहले से जमा प्रतिभूति को वर्तमान प्रतिभूति जमा के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित राशि के विरुद्ध समायोजित कर सकता है।

(iv) प्रतिभूति जमा भांडागार पंजीकरण के समाप्ति के पश्चात छह माह की अवधि हेतु अनुसूची-1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के पक्ष में बैंक सावधि जमा या बैंक गारंटी के रूप में होगी।

(V) प्राधिकरण संसद के किसी अधिनियम या किसी राज्य विधानसभा के अधीन बनाए गए निकाय को दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रतिभूति जमा के रूप में अपेक्षित राशि हेतु एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र उपलब्ध करवाने की अनुमति दे सकता है।

(VI) प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुमति प्राप्त कोई निकाय पंजीकरण हेतु अपने आवेदन के साथ ऐसे क्षतिपूर्ति बंधपत्र को प्रस्तुत करने के लिए अपने निदेशक मंडल से एक संकल्प प्रस्तुत करेगा।

(VII) प्रतिभूति जमा को भांडागार के पंजीकरण की समाप्ति, निरस्तीकरण अथवा अभ्यर्पण के पश्चात् 6 माह तक अथवा प्रतिभूति जमा के प्रति प्रत्येक दावे की संतुष्टि होने तक, जो भी बाद में हो, जारी नहीं किया जाएगा।

(VIII) प्राधिकरण किसी भंडागार की प्रतिभूति जमा वापस करेगा, यदि—

(क) भांडागार के पंजीकरण के नवीकरण हेतु किसी आवेदन को निरस्त कर दिया गया है और यदि प्राधिकरण इससे संतुष्ट है कि भांडागारपाल ने अपने दायित्वों को इन नियमों के अनुसार निष्पादित किया है;

(ख) कोई भांडागारपाल अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण करता है और प्राधिकरण ऐसे अभ्यर्पण को स्वीकार कर लेता है; अथवा

(ग) किसी भांडागार के पंजीकरण के प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया गया है और प्राधिकरण इससे संतुष्ट है कि भांडागारपाल ने अपने दायित्वों का निर्वहन इन नियमों की अपेक्षा के अनुसार किया है।

(IX) उपर्युक्त (1) तथा (2) में निर्दिष्ट किए अनुसार प्रतिभूति जमा के ऐसे किसी पुनर्विलोकन के होते हुए भी, यदि कोई है, भांडागारपाल उन्हें जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों की वैध अवधि में जमाकर्ताओं को देय प्रभारों में वृद्धि नहीं करेगा।

प्रथम अनुसूची

(भांडागारपाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति जमा भुगतान हेतु बैंक गारंटी का प्रारूप)

निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए)
एनसीयूआई भवन (चौथा तल),
3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग,
हौज खास, नई दिल्ली- 110016
(यथा लागू स्टाम्प शुल्क के साथ)

हमारी गारंटी पत्र सं.- ....

1. भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, जिसका कार्यालय एनसीयूआई परिसर (चौथा तल), 3, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, दिल्ली- 110016 (भारत) (जिसे इसमें इसके पश्चात ''डब्ल्यूडीआरए'' कहा गया है, जब तक अंतर्वस्तु या अर्थ के विपरीत न हो इसके सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक सम्मिलित होंगे) में अवस्थित है और जिसने मैसर्स .... से संबंधित भांडागारों अथवा इस अनुसूची के साथ संलग्न सूची के अनुसार (बैंक द्वारा विधिवत रूप से पृष्ठांकित) भांडागारों का पंजीकरण प्रदान करने पर विचार किया है/प्रदान किया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात ''भांडागारपाल'' कहा गया है, जब तक अंतर्वस्तु या अर्थ के विपरीत न हो इसके सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक शामिल होंगे)।

2. भांडागारपाल भांडागारण (विकास और विनयमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात नियम कहा गया है) में दिए गए निबंधन एवं शर्तों के अनुसार भांडागार कारबार के संचालन को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है और डब्ल्यूडीआरए के साथ पूर्ण पंजीकरण के विश्वसनीय निष्पादन हेतु .... रुपए (.................................. रुपए मात्र) के लिए बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा डब्ल्यूडीआरए को प्रस्तुत करने पर सहमत हुआ है, हम .... (जिसे इस में इसके पश्चात ''बैंक'' कहा गया है) भांडागारपाल के अनुरोध पर ''गैर- कृषिगत वस्तुओं का भंडारण करने वाले भांडागारों के साथ-साथ गैर- कृषिगत और कृषिगत वस्तुओं दोनों का संयुक्त रूप से भंडारण करने वाले भांडागारों के पंजीकरण हेतु प्रतिभूति जमा की आवश्यकता (जिसमें इसे अधिसूचना कहा गया है)'' संबंधी तारीख .... की अधिसूचना सं. .... (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिसूचना कहा गया है) तथा नियम में समाविष्ट निबंधन एवं शर्तों में से भांडागारपाल द्वारा किसी के उल्लंघन के कारण परक्राम्य भांडागार रसीदों के धारक को होने वाली किसी हानि या क्षति के लिए .... रुपए से अनधिक की राशि डब्ल्यूडीआरए को अदा करने का वचन देते हैं।

3. हम .... (बैंक का नाम) इस गारंटी के अधीन देय तथा भुगतान योग्य राशि को बिना किसी विलंब के डब्ल्यूडीआरए के यह कहते हुए मांग किए जाने पर कि दावा की गई राशि नियमों तथा अधिसूचना में समाविष्ट निबंधन एवं शर्तों में से किसी शर्त के भांडागारपाल द्वारा किए गए उल्लंघन के चलते परक्राम्य भांडागार रसीद के धारक को होने वाली हानि या क्षति के कारण है, उसे अदा अधीन करने का वचन देते हैं। इस गारंटी के अधीन बैंक को की गई ऐसी कोई भी मांग बैंक द्वारा देय तथा भुगतान योग्य किसी राशि के संबंध में निर्णायक होगी। तथापि, इस गारंटी के अधीन हमारी देयता .... रुपए की राशि से अधिक की नहीं होगी।

4. हम किसी न्यायालय अथवा अभिकरण के समक्ष तत्संबंधी किसी वाद या कार्यवाही में किसी विवाद या विवादों को उठाए बिना डब्ल्यूडीआरए को इस प्रकार मांग की गई कोई भी राशि अदा करने का वचन देते है, कि भांडारगारपाल ने इसके अधीन वर्तमान में हमारी देयता पूर्ण तथा स्पष्ट है। इस बंधपत्र के अधीन हमारे द्वारा किया गया भुगतान अथवा तत्संबंधी भुगतान हेतु देयता के लिए एक वैध निर्वहन होगा और ऐसा भुगतान करने पर भांडागारपाल का हमारे प्रति कोई दावा नहीं होगा।

5. हम ....(बैंक का नाम) आगे इसके लिए भी सहमत होते हैं कि डब्लूडीआरए के पास हमारी सहमति के बिना और इसके अधीन हमारे दायित्वों को किसी रीति से प्रभावित

किए बिना उक्त अनुबंध के किसी निबंधन एवं शर्त को बदलने या समय-समय पर भांडागारपाल द्वारा निष्पादन के समय में विस्तार करने अथवा समय-समय पर भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण द्वारा भांडागारपाल के विरूद्ध की जाने वाली शक्तियों के प्रयोग को स्थगित करने और उक्त समझौते से संबंधित निबंधन एवं शर्तों को रोकने या लागू करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और हम उक्त अनुबंध से संबंधित निबंधन एवं शर्तों के अधीन अपनी देयता से मुक्त नहीं होंगे तथा हम भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की ओर से भांडागारपाल को प्रदान किए गए ऐसे किसी अंतर, या विस्तार अथवा भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की ओर से कोई रोक, कृत्य या चूक अथवा भांडागारपाल के साथ भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के किसी कृत्य में सम्मिलित होने अथवा किसी भी अन्य मामले या घटना से, जिसके अधीन जमानत देने वालों से संबंधित विधि का प्रभाव हमें मुक्त करेगा, परंतु यह उपबधित न हो।

6. यह गारंटी बैंक या भांडागारपाल के गठन में परिवर्तन के कारण निरस्त नहीं होगी।

7. हम .... (बैंक का नाम) अंतत: इस गारंटी को भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति लिखित में प्राप्त होने तक वापिस न लेने का वचन देते हैं।

8. इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी:-

i. इस बैंक गारंटी के अधीन हमारी देयता .... (रुपए मात्र) है।

ii. यह बैंक गारंटी .... तक वैध है और

iii. हम इस बैंक गारंटी के अधीन किसी गारंटीशुदा राशि या उसके किसी अंश का भुगतान केवल तब तक करने का दायित्व रखते हैं जब तक भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण हमें ……………………… (गारंटी की समाप्ति की तारीख) को या उससे पूर्व लिखित में दावा या मांग भेजे।

तारीख .... माह .... 20...

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रबंधक का नाम

कृते **(बैंक का नाम)**

शाखा

बैंक की मुहर

द्वितीय अनुसूची

क्षतिपूर्ति बंधपत्र

इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र को .... 20 .... को .... (संसद या राज्य विधायिका के किसी अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई निकाय), जिसे इसमें इसके पश्चात "निकाय" कहा गया है, द्वारा भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए), जिसे इसमें इसके पश्चात "प्राधिकरण" कहा गया है, के पक्ष में विलेख द्वारा निष्पादित किया गया है।

जबकि:

(क) भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) (इसमें इसके पश्चात इसे प्राधिकरण कहा गया है) की स्थापना भांडागारण (विकास और विनियमन) अधीन, 2007 (अधीन, 2007) के अधीन भांडागारों के विकास, भांडागार रसीदों के परक्राम्य के विनियमन और भांडागार कारबार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए अधीन, 2007 के उपबंधो के कार्यान्वयन को विनियमित करने तथा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। परक्राम्य रसीदों को जारी करके किसी भांडागार के रखरखाव के व्यवसाय को प्रारंभ करने या जारी रखने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को पंजीकृत होना अपेक्षित होता है और इस प्रयोजन हेतु उक्त अधिनयम के अधीन भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण को आवेदन देना होता है।

(ख) अपने भांडागार का पंजीकरण करवाने के इच्छुक प्रत्येक आवेदक/भांडागार सेवा प्रदाता (डब्ल्यूएसपी) से प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने के इक्कीस दिवस के भीतर प्राधिकरण को प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(ग) भांडागारपाल, जिनके पास गैर-कृषिगत वस्तुओं के भंडारण के लिए भांडागार हैं, द्वारा प्रतिभूति जमा भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में जमा करवाई जाने और पंजीकरण की अवधि के दौरान बनाए रखी जाने तथा प्रत्येक माह के अंत में अद्यतन की जाने वाली राशि निम्नवत है:-—

क्र. सं.	स्थिर प्रतिभूति जमा (रु.)/प्रति भांडागार इकाई (एफएसडी)	गत्यात्मक प्रतिभूति जमा (टी का %) (डीएसडी)
	क	ख
1	1 लाख रुपए प्रति भांडागार	टी का 0.3%

जहां 'टी' का अर्थ है पिछले माह के दौरान किसी एक दिन को भांडागारपाल के पंजीकृत भांडागार द्वारा जारी की गई परक्राम्य और गैर-परक्राम्य भांडागार रसीदों का समेकित अधिकतम मूल्य।

(घ) भांडागारपाल, जिनके पास कृषिगत और गैर-कृषिगत वस्तुओं के भंडारण, दोनों, के लिए भांडागार हैं, द्वारा (प्रतिभूति जमा भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में) जमा करवाई जाने और पंजीकरण की अवधि के दौरान बनाए रखी जाने तथा प्रत्येक माह के अंत में अद्यतन की जाने वाली राशि निम्नवत है:—

क्र. सं.	स्थिर प्रतिभूति जमा (रु.)/प्रति भांडागार इकाई (एफएसडी)	गैर-कृषि वस्तुओं के संबंध में गत्यात्मक प्रतिभूति जमा (टी1 का %) (डीएसडी)	कृषि वस्तुओं के संबंध में गत्यात्मक प्रतिभूति जमा (टी2 का %) (डीएसडी)	डीएसडी की कुल आवयश्कता
	क	ख	ग	घ
1	1 लाख रुपए प्रति भांडागार	टी1 का 0.3%	2000 टन से अधिक क्षमता वाले कृषिगत भांडागारों पर लागू दर के समान	ख + ग

जहां 'टी1' भांडागार क्षमता का विचार किए बिना पिछले माह के दौरान किसी एक दिन के भांडागारपाल के सभी पंजीकृत भांडागारों में गैर-कृषिगत वस्तुओं की परक्राम्य और गैर-परक्राम्य भांडागार रसीदों, समेकित बकाया का अधिकतम मूल्य होगा।

जहां 'टी2' भांडागार क्षमता का विचार किए बिना पिछले माह के दौरान किसी एक दिन के भांडागारपाल के सभी पंजीकृत भांडागारों में कृषिगत वस्तुओं की परक्राम्य और गैर-परक्राम्य भांडागार रसीदों, समेकित बकाया का अधिकतम मूल्य होगा।

(ङ) प्राधिकरण अपने विवेकानुसार भांडागारपाल द्वारा पहले से जमा प्रतिभूति को वर्तमान प्रतिभूति जमा के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित राशि के विरूद्ध समायोजित कर सकता है। प्रतिभूति जमा को भांडागार के पंजीकरण की समाप्ति, निरस्तीकरण अथवा अभ्यर्पण के 6 माह पश्चात तक अथवा प्रत्येक दावे की संतुष्टि तक, जो भी बाद में हो, जारी नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण के पास प्रतिभूति जमा की राशि को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

(च) चूंकि प्राधिकरण संसद या किसी राज्य विधानसभा के अधिनियम के अधीन बनाए गए निकाय को जो भांडागार के रखरखाव और परक्राम्य भांडागार रसीद को जारी करने का व्यवसाय कर रहा है, प्रतिभूति जमा के रूप में अपेक्षित राशि हेतु एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है और प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुमेय किया गया ऐसा कोई निकाय पंजीकरण हेतु अपने आवेदन के साथ ऐसे क्षतिपूर्ति बंधपत्र को प्रस्तुत करने के लिए अपने निदेशक मंडल का एक संकल्प प्रस्तुत करेगा।

अत: अब.................. अधिनियम के अधीन स्थापित मैसर्स ....(निकाय का नाम), इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र की नीचे दी गई शर्तों के अनुसार उक्त पैरा 'ग' और 'घ' के अंतर्गत विहित सीमाओं की सीमा तक की राशि, चाहे कुछ भी हो, हेतु हर समय प्राधिकरण अर्थात भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण को सभी कार्रवाई, वाद, कार्यवाही, लेखे, दावे तथा मांग, जो कोई भी हो, के प्रति बचाने, बचाव करने तथा क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है तथा इसके लिए वचन देता है कि:—

1. मैसर्स ....(इकाई का नाम) प्राधिकरण के नियमों तथा विनियमों के अधीन उसकी ओर से निष्पादित की जाने वाली सभी बाध्यताओं का अनुपालन करेगा।
2. मैसर्स .... (निकाय का नाम) पंजीकरण की समाप्ति, निरस्तीकरण अथवा अभ्यपर्णन के पश्चात 6 माह तक अथवा प्रतिभूति जमा के प्रति प्रत्येक दावे की संतुष्टि होने तक, जो भी बाद में हों, प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति करने (उक्त पैरा 'ग' और 'घ' में सारणी में उल्लिखित राशि हेतु) का वचन देता है।
3. मैसर्स ....(निकाय का नाम) किसी भांडागार के संबंध में क्षतिपूर्ति बंधपत्र के अधीन अपने दायित्वों से मुक्त तब माना जाएगा, यदि –

   (क) भांडागार के पंजीकरण के नवीकरण हेतु किसी आवेदन को निरस्त कर दिया गया है और यदि प्राधिकरण इससे संतुष्ट है कि भांडागारपाल ने अपने दायित्वों को इन नियमों के अनुसार निष्पादित किया है;

   (ख) यदि भांडागारपाल अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र का अभ्यर्पण करता है और प्राधिकरण ऐसे अभ्यर्पण को स्वीकार कर लेता है; अथवा

   (ग) यदि किसी भांडागार के पंजीकरण के प्रमाण-पत्र को निरस्त कर दिया गया है और प्राधिकरण इससे संतुष्ट है कि भांडागारपाल ने अपने दायित्वों का निर्वहन इन नियमों के अनुसार किया है।

4. मैसर्स .... (निकाय का नाम) परक्राम्य भांडागार रसीद की अवधि के भीतर जमाकर्ताओं द्वारा देय दरों में वृद्धि न करने का वचन देता है।
5. मैसर्स .... (निकाय का नाम) एतद्वारा सहमत है कि प्राधिकरण को होने वाली हानि/क्षति, यदि कोई हो, की उसके द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी।
6. यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र............................ दिन .... माह ....वर्ष तक वैध है।

   निम्नांकित के साक्ष्यांकन में क्षतिपूर्ति बंधपत्र को तारीख .... 20.................... को निष्पादित किया गया।

निष्पादक

नाम:

पद:

संगठन:

(मुहर सहित)

साक्षियों की उपस्थिति में –

1.

2.

द्वितीय अनुसूची की अनुक्रमणिका

क्षतिपूर्ति बंधपत्र में सम्मिलित भांडागारों का विवरण

क्र. सं.	भांडागार का नाम और पता	क्षमता (टन में)

जितेश शर्मा, निदेशक (प्रशासन और वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./319/2023-24]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2023

No. WDRA-Tech0Ops(WH)/2/2021-Technical.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 35 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007) read with rule 19 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, the Warehousing Development and Regulatory Authority (hereinafter referred as the Authority), hereby notifies the following procedure for requirement of security deposit for registration of warehouses storing non-agricultural commodities and combined warehouse storing both non- agricultural and agricultural commodities with the Authority namely:—

1. The applicant warehouse or Warehouse Service Provider (WSP) seeking registration of their warehouse with the Authority shall submit a security deposit to the Authority before issue of a registration certificate. The security deposit shall be required to be submitted within twenty-one working days after issue of a communication by the Authority to this effect.

2. If the applicant fails to submit the security deposit within the period specified as above, the application shall be deemed to have been rejected; Provided that the Authority may, if it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from submitting the security deposit within the said period of twenty-one working days, allow them to submit the security deposit within such extended time as may be decided by the Authority.

3. If the applicant submits the security deposit in the form and manner specified below, the Authority shall issue a certificate of registration to the applicant in respect of the warehouse within five working days in the form specified in the Fourth Schedule of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017.

4. Details of the amount and manner of security deposit to be furnished by the applicant or the warehouseman are given as under:

(i) The warehouseman shall maintain a security deposit to be held by the Authority during period of registration. The security deposit has two components, i.e. fixed and dynamic security deposit. The fixed security deposit amount is per warehouse belonging to the warehouseman registered with Warehousing Development & Regulatory Authority, whereas, the dynamic security deposit is a percentage of the maximum value of negotiable and non-negotiable warehouse receipts (whether in electronic or physical form) put together outstanding consolidatively in all the registered warehouses of the warehouseman on any day during the preceding month,

(a) For warehouseman, storing only non- agricultural commodities the fixed security deposit is Rs. 1,00,000/- per warehouse (as detailed in the column A below for registration of warehouses), whereas, the dynamic Security Deposit is 0.3% (zero point three percent) of the maximum value of negotiable and non-negotiable warehouse receipts (whether in electronic or physical form put together) outstanding consolidatively in all the registered warehouses of the warehouseman on any day during the preceding month, referred as ‘T’, as mentioned in column B of Table 1 below.

TABLE 1

S. No.	Fixed Security Deposit (Rs.) / per warehouse unit (FSD)	Dynamic Security Deposit (% of T) (DSD)
	A	B
1	Rs. 1 Lakh per warehouse	0.3% of T

Where 'T' refers to the consolidated peak value of negotiable and non-negotiable warehouse receipts issued by a registered warehouse of the warehouseman on any day during the preceding month.

(b) For warehouseman, storing both non- agricultural and agricultural commodities the fixed security deposit is Rs. 1,00,000/- per warehouse, whereas, the dynamic security deposit shall be the sum of the applicable Dynamic Security Deposit on stored agricultural commodities, and the Dynamic Security Deposit applicable on the stored non-agricultural commodities as per Table 2 below.

TABLE 2

S. No.	Fixed Security Deposit (Rs.) / per warehouse unit (FSD)	Dynamic Security Deposit in respect of non-agricultural commodities (% of T1) (DSD)	Dynamic Security Deposit in respect of agricultural commodities (% of T2) (DSD)	Total requirement of DSD
	A	B	C	D
1	Rs. One Lakh per warehouse	0.3% of T1	Same rate as applicable to agricultural warehouses of capacity more than 2000 Metric Tonnes	B + C

T1 will be the maximum value of negotiable and non-negotiable warehouse receipts of non- agricultural commodities, outstanding consolidatively, in all the registered warehouses of the warehouseman on any day during the preceding month, irrespective of the capacity of the warehouse.

T2 will be the maximum value of negotiable and non-negotiable warehouse receipts of agricultural commodities, outstanding consolidatively, in all the registered warehouses of the warehouseman on any day during the preceding month, irrespective of the capacity of the warehouse.

(ii) The fixed security deposit shall be maintained for a period of six months beyond the registration period whereas the dynamic security deposit shall be updated at the end of each month and submitted to the Authority which shall be duly acknowledged. The validity of dynamic security deposit can be kept for a period of minimum six months so as to take care of any changes in the requirement of security deposit during this period;

(iii) The Authority may, at its discretion, adjust the security deposit already furnished by the warehouseman against the amount required to be furnished;

(iv) The security deposit shall be in the form of Bank Fixed Deposits or in form of Bank Guarantee, favouring Warehousing Development & Regulatory Authority as per the format given in First Schedule for a period of six months beyond the expiry of registration;

(v) The Authority may allow any entity created under an Act of Parliament or of State legislature to provide, an Indemnity Bond for the amount required as security deposit, as per format given in the Second Schedule;

(vi) An entity allowed by the Authority to submit an Indemnity Bond shall submit, along with application for registration, a resolution from the Board of Directors authorising to furnish such Indemnity Bond;

(vii) The security deposit shall not be released until six months after expiry, cancellation or surrender of the registration of the warehouse or until after satisfaction of every claim against the security deposit, whichever is later;

(viii) The Authority shall refund the security deposit in respect of a warehouse, if–

(a) an application for renewal of registration of the warehouse has been rejected and if the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of the rules;

(b) a warehouseman surrenders the certificate of registration and the Authority accepts such surrender; or

(c) the certificate of registration of a warehouse is cancelled and the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of the rules.

(ix) Notwithstanding such revision of the security deposit as specified at (i) and (ii) above, if any, the warehouseman shall not increase the charges payable by the depositors within the period of validity of negotiable warehouse receipts issued to them.

FIRST SCHEDULE

(Format for Bank Guarantee for Security Deposit Payment to be submitted by Warehouseman)

Director (Administration and Finance)

Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA)

NCUI Building (4th Floor),

3, Siri Institutional Area, August KrantiMarg,

HauzKhas, New Delhi – 110016

(With due stamp duty as applicable)

OUR LETTER OF GUARANTEE No. :

1. In consideration of Warehousing Development and Regulatory Authority, having its office at NCUI Building (4th Floor), 3, Siri Institutional Area, August KrantiMarg, HauzKhas, Delhi – 110016 (INDIA) (hereinafter referred to as "WDRA" which expression shall unless repugnant to the content or meaning thereof include all its successors, administrators and executors) and having considered granting/ granted registration of the warehouse (s), namely, ____________________or as per list annexed with this schedule (duly endorsed by the Bank) belonging to M/s ________________(hereinafter referred to as "The Warehouseman" which expression unless repugnant to the content or meaning thereof, shall include all the successors, administrators, and executors).

2.WHEREAS the Warehouseman having unequivocally accepted to conduct business of warehousing as per terms and conditions given in the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017 (hereinafter referred as the Rules) and having agreed to furnish to WDRA a security deposit in the form of a Bank Guarantee for Rs......... (Rupees................ only) for the faithful performance of the entire registration with the WDRA, we... (hereinafter referred to as "the Bank") at the request of the warehouseman do hereby undertake to pay to the WDRA an amount not exceeding Rs …… against any loss or damage caused to or suffered by the holder of the negotiable warehouse receipt due to breach by the warehouseman of any of the terms and conditions contained in the Rules and the notification No….. dated ……on "Requirement of Security Deposit for registration of warehouses storing non-agricultural commodities as well as combined warehouse storing both non-agricultural and agricultural commodities (hereinafter referred as the notification).

3. We... (Name of the Bank) do hereby undertake to pay the amount due and payable under this guarantee without any demur merely on a demand from the WDRA stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or suffered by the holder of the negotiable warehouse receipt due to breach by the warehouseman of any of the terms and conditions contained in the rules and the notification. Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs.........

4. We undertake to pay to the WDRA any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the warehouseman in any suit or proceeding pending before any court or Tribunal relating thereto, our liability under this present being absolute and unequivocal. The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment thereunder and the warehouseman shall have no claim against us for making such payment.

5. We.......................... (Name of the Bank) further agree that the WDRA shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Agreement or to extend time of performance by the warehouseman from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the WDRA against the warehouseman and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said Agreement and we shall not be relieved from our liability under terms and conditions relating to the said Agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the warehouseman or for any forbearance, act or omission on the part of the WDRA or any indulgence by the WDRA to the warehouseman or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.

6. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the warehouseman

7. We,.......................... (Name of the Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee except with the previous consent of the WDRA in writing.

8. Notwithstanding anything contained herein :-

i) Our liability under this Bank Guarantee shall not exceed .... (Rupees .... only)

ii) This Bank Guarantee shall be valid upto... and

iii) We are liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this Bank Guarantee only and only if the WDRA serve upon us a written claim or demand on or before................ (Date of expiry of guarantee)

Dated the............................ day of..... 202

Name of Authorized Signatory/

Manager For (**Name of the Bank**)

Branch

Seal of the bank

Second Schedule

INDEMNITY BOND

This indemnity is executed by deed on the day of_____ 20_ by ___ (an entity created under the Act of the Parliament or of the State Legislature) hereinafter called "ENTITY" in favour of the Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) hereinafter called "AUTHORITY"

WHEREAS:

(a) The Warehousing Development and Regulatory Authority (hereinafter referred as Authority) is established under the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (Act, 2007) with the objective to regulate and ensure implementation of the provisions of Act, 2007 for development of warehouses, regulations of negotiability of Warehouse Receipts and promote orderly growth of warehousing business. Every person desirous of commencing or carrying business of maintaining a warehouse issuing negotiable warehouse receipts is required to be registered and for that purpose an application has to be made to the Authority under the said Act.

(b) Every applicant warehouse/Warehouse Service Provider (WSP) seeking registration of their warehouse shall be required to submit security deposit to the Authority within twenty-one days of the communication by the Authority.

(c) The value of security deposit in the form of bank guarantee in favour of Warehousing Development and Regulatory Authority to be deposited by warehouseman having warehouses storing non- agricultural commodities and to be maintained during the period of registration and to be updated at the end of each month is as follows:—

S. No.	Fixed Security Deposit (Rs.) / per warehouse unit (FSD)	Dynamic Security Deposit (% of T) (DSD)
	A	B
1	Rs. 1 Lakh per warehouse	0.3% of T

Where 'T' refers to the consolidated peak value of negotiable and non-negotiable warehouse receipts issued by a registered warehouse of the warehouseman on any day during the preceding month.

(d) The value of security deposit (in the form of bank guarantee in favour of Warehousing Development and Regulatory Authority) to be deposited by warehouseman having warehouses storing both non- agricultural and agricultural commodities and to be maintained during the period of registration and to be updated at the end of each month is as follows: —

TABLE 2

S. No.	Fixed Security Deposit (Rs.) / per warehouse unit (FSD)	Dynamic Security Deposit in respect of non-agri commodities (% of T1) (DSD)	Dynamic Security Deposit in respect of agri commodities (% of T2) (DSD)	Total requirement of DSD
	A	B	C	D
1	Rs. 1 Lakh per warehouse	0.3% of T1	Same rate as applicable to agricultural warehouses of capacity more than 2000 MTs	B + C

Where 'T1' will be the maximum value of negotiable and non-negotiable warehouse receipts of non-agricultural commodities, outstanding consolidatively, in all the registered warehouses of the warehouseman on any day during the preceding month, irrespective of the capacity of the warehouse.

Where 'T2' will be the maximum value of negotiable and non-negotiable warehouse receipts of agricultural commodities, outstanding consolidatively, in all the registered warehouses of the warehouseman on any day during the preceding month, irrespective of the capacity of the warehouse.

(e) The Authority may at its discretion, adjust the security deposit already furnished by warehouseman against the amount required as security deposit. The security deposit shall not be released until six months after cancellation, rejection or surrender of the registration of the warehouse or until after satisfaction of every claim against security deposit whichever is later. The Authority reserves its rights to revise the amount of security deposit.

(f) As the Authority may allow any entity created under an Act of the Parliament or State Legislative and carrying business of maintaining warehouse (s) and issuing negotiable warehouse receipt, to submit Indemnity Bond in lieu of security deposit and the entity allowed by the Authority to submit an Indemnity Bond shall submit, along with application for registration, a resolution from Board of Directors authorising the furnishing of such Indemnity Bond.

NOW therefore M/s …………………………..(name of the entity) established under ……………………………… Act, agrees and undertakes at all times to save, defend, and indemnify and keep indemnified the Authority from and against all actions, suits, proceedings, accounts, claims and demands whatsoever for an amount of Rs………(Rupees…………only) (as detailed at Annexure) to the extent of limits to be worked out as per Paragraph 'c' and 'd' above and as per the conditions of this indemnity bond noted below: -

1) M/s ………………………………..(name of the entity) shall comply with all the obligations to be performed on their part under the rules and regulations.

2) M/s ………………………………..(name of the entity) undertakes to keep the Authority indemnified for an amount to be worked out as per the Table in Paragraph 'c' and 'd' above until six months, after cancellation, rejection or surrender of registration or until after satisfaction of every claim whichever is later.

3) M/s ………………………………..(name of the entity) shall be discharged of its obligation under Indemnity Bond in respect of a warehouse, if: —

a) An application for renewal of registration of the warehouse has been rejected and if the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of the rules;

b) A warehouseman surrenders his certificate of registration, and the Authority accepts such surrender; or

c) The certificate of registration of a warehouse is cancelled, and the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of the rules.

4) M/s. ………………………………..(name of the entity) undertakes not to increase the charges payable by depositors within the period of negotiable warehouse receipts issued to them.

5) M/s. ………………………………..(name of the entity) hereby agrees that in case any losses/damages if suffered by the Authority, the same shall be indemnified by M/s. ………………………………..(name of the entity).

6) This Indemnity Bond shall have validity till _______day of ________(month)_____ ____20_…….

In witness whereof signed this Indemnity Bond is executed on this _ day of _ 20_ .

EXECUTOR

NAME:

DESIGNATION:

ORGANISATION:

(With Seal)

In the presence of witnesses: —

1)

2)

Annexure to the Second Schedule

Details of warehouses included in the Indemnity Bond

Sl. No.	Name and Address of the Warehouse	Capacity in MT

JEETESH SHARMA, Director (Admin & Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./319/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA